न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 21.03.2016

पृथ्वीराज पिता नोला जी गाडरी निवासी फलवा, तहसील निम्बोड़ा जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजायः–

1–देवीलाल पिता स्वर्गीय पृथ्वीराज गाडरी निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
2–भंवरलाल पिता स्वर्गीय पृथ्वीराज गाडरी निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकारगण

बनाम

1–कन्हैयालाल पिता हरिवल्लभ जोशी जाति ब्राह्मण निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत फलवा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 21 आदेश दिनांक 18.11.1967 द्वारा ग्राम पंचायत फलवा

उपस्थिति : 1– श्री बगदीराम धाकड़, अधिवक्ता निगराकारगण
2– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 09.07.2019

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत फलवा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 18.11.1967 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर जारी किया गया है जो कि कानून के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। पट्टे में वर्णित भूमि पर निगराकारगण का उसके बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 28/2016 (नि.पं.)
पृथ्वीराज गाडरी मृत्तक के बजायः- देवीलाल पिता पृथ्वीराज गाडरी निवासी फलवा बनाम कन्हैयालाल पिता हरिवल्लभ जोशी निवासी फलवा वगैरा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत फलवा से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्राम पंचायत फलवा का पत्र दिनांक 02.11.2016 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित कोई भी रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। निगराकारगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

निगराकारगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकारगण उनके बाप-दादाओं के जमाने से उक्त स्थान पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं विपक्षी संख्या 1 का उक्त पट्टे के स्थान पर कभी लेस मात्र भी कब्जा नहीं रहा। उक्त भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत से सूचना मांगी गई परन्तु कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियमों की कोई पालना नहीं की गई। गैर निगराकार कन्हैयालाल के पिताजी हरिवल्लभ जोशी ग्राम पंचायत फलवा के वर्ष 1965 से 1970 के मध्य समय में सरपंच रह चुके हैं जिसका नाजायब फायदा उठाकर उन्होने या उनके प्रतिनिधियान ने बेक डेट में उक्त फर्जी पट्टा तैयार किया है। वर्तमान में गैर निगराकार कन्हैयालाल की उम्र 47 से 50 वर्ष के मध्य है जब उक्त पट्टा जारी हुआ उस समय कन्हैयालाल का जन्म ही नहीं हुआ, यदि जन्म होना माना भी जावे तो 2 साल के अबोध बालक को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार सरपंच द्वारा अपने रिश्तेदार को पट्टा नहीं दिया जा सकता किन्तु उनके पुत्र के नाम पट्टा जारी किया है जो कि गलत, फर्जी एवं बनावटी है। अतः उपरोक्त पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुए झूठा तैयार किया गया है जिसका ग्राम पंचायत में कोई रेकार्ड नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर उक्त पट्टा निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत फलवा ने जो पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी किया है वह सही व सत्य है तथा विपक्षी संख्या 1 का उक्त पट्टे पर कब्जा चला आ रहा है व निरन्तर रूप से काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम कर, तीन पंचो की कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण करने के पश्चात् एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर पिचहत्तर रूपये की बोली में विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है जो पूर्ण रूप से पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। निगराकारगण ने 1967 में जारी पट्टे के विरूद्ध सन् 2016 में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी प्रस्तुत की है जो कि विलम्ब से प्रस्तुत की है अतः निगरानी मेन्टनेबल नहीं है। अतः निगरानी निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने से मेन्टनेबल नहीं होने का कथन किया है अतः सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल है या नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत किसी भी पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई है। अतः धारा 97 के तहत जिला कलक्टर को ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने मे किसी प्रकार की रोक नहीं है क्योंकि धारा 97 के तहत जिला कलक्टर को पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्युरिडिक्शन की श्रेणी मे आता है। अतः अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का कथन कि निगराकार द्वारा देरी से प्रस्तुत किया गया निगरानी प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नहीं है, मानने योग्य नहीं है।

ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब करने पर सरपंच ग्राम पंचायत फलवा द्वारा ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली/मिसल व कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने का अंकन करना इस तथ्य को बल देता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई। पंचायत के सदस्यों द्वारा पर्चा मौका एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं की गई है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर विपक्षीगण की तामील कराने हेतु सूचना पत्र जारी किये जाने पर विपक्षी संख्या 1 का सूचना पत्र/नोटिस उनके पिता द्वारा नोटिस प्राप्त करने से बाद तामील प्राप्त हुआ है उक्त नोटिस पर विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री हरिवल्लभ के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस पर किये गये हस्ताक्षर तथा विवादित पट्टे पर सरपंच के रूप में किए गए हस्ताक्षर लगभग मिलते-जुलते हैं। उक्त तथ्य भी इस बात को बल देता है कि श्री हरिवल्लभ जोशी ने तत्कालीन समय में सरपंच रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर अपने पुत्र के नाम पर पट्टा जारी किया गया है। विवादित पट्टा संख्या 21 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टे पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही सचिव के हस्ताक्षर है मात्र सरपंच द्वारा हस्ताक्षर कर उक्त पट्टा जारी किया गया है जो कि श्री हरिवल्लभ जोशी द्वारा विपक्षी संख्या 1 अर्थात् उसके पुत्र को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से जारी किया जाना प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 28/2016 (नि.पं.)
पृथ्वीराज गाडरी मृत्तक के बजायः- देवीलाल पिता पृथ्वीराज गाडरी निवासी फलवा बनाम कन्हैयालाल पिता हरिवल्लभ जोशी निवासी फलवा वगैरा

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत फलवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 18.11.1967 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official